संख्या-30/1240/84-1-2013-3बामा,(चि.प्र.)/13

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 16 जनवरी,2014

विषय-उ0प्र0 राजकीय सेवकों/सेवानिवृत्त सेवकों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत श्री सुरेशलाल श्रीवास्तव वरिष्ठ निरीक्षक,विधिक माप विज्ञान विभाग की पत्नी के उपचार में होने वाले व्यय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-448/निविमावि-चि.व्य. प्र./एस-6/13 दिनॉक 04 दिसम्बर,2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 04 दिसम्बर,2013 के बिन्दु सं0-03 के संबंध में श्री सुरेशलाल श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती पूनम श्रीवास्तव 23.06.2011 से दिनांक 07.09.2011 की अवधि रू0 62420/-हेतु प्रस्तुत अनिवार्यता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है। अत: समस्त बिल बाउचर (मूलरूप) में वापस करते हुए अनुरोध है कि मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in